हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

1/26 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 8/1/26 को पेश हो

8/1/26 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22/1/26 को पेश हो

22/1/26 पत्रावली उपस्थित बहस प्रा०पत्र सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दि. 28/1/26 को पेश हो

28/1/2026 पत्रावली आज वास्ते आदेश प्रा0पत्र 212 आरटीएक्ट पेश हुई। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि कृषि भूमि ख0स0ं 624 रकबा 1 बीधा 8 बिस्वा, ख0स0ं 625 रकबा 4 बीधा 8 बिस्वा,ख0सं0 631 रकबा 5 बीधा 3 बिस्वा, ख0सं0 634 रकबा 5 बीधा 3 बिस्वा, ख0सं0 650 रकबा 4 बीधा 1 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 20 बीधा 5 बिस्वा वाके ग्राम जाखमुण्ड में स्थित है जिसके पुराने ख0नं0 430/2 मिन, 430/1, 430 मिन, 531मिन, 832 मिन थे। भूमि ख0सं 650 रकबा 4 बीधा 1 बिस्वा,ख0स0ं 431/2 रकबा 2 बीधा 14 बिस्वा, ख0सं0 530 मि. रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 4 बीधा 1 बिस्वा है। जो कि सेटलमेन्ट जमाबन्दी में चन्दा, रसाद पि0 हिरा हिस्सा 1/3, कोका पुत्र दयाल हिस्सा 1/3, सुखा आ0 दल्ला हि0 1/3 के रूप में अंकित थी। तत्कालीन सहखातेदार चन्दा का देहान्त हो चुका है जिनकी वारिस उनकी पुत्री बादाम अप्रार्थी सं. 1 है, रसाल का देहान्त हो चुका है जिनके वारिस अप्रार्थी सं. 2 लगायत 6 है इसी प्रकार कोका की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस अप्रार्थी सं. 7 लगायत 28 है, सुक्खा की मृत्यु हो जाने से उनके वारिस अप्रार्थी सं. 29 लगायत 34 है। वाद वर्णित आराजी में से आपसी सहमति हुए मौखिक बटवारे में चन्दा व रसाल के संयुक्त हिस्से में भूमि ख0सं0 650 रकबा 4 बीधा 1 बिस्वा भूमि आयी थी जो उनके कब्जे काश्त में थी। जो कि चन्दा व रसाल ने संयुक्त रूप से ख0सं0 650 रकबा 4 बीधा 1 बिस्वा को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 4.4.1977 को सुखराम आ0 सोहनसिंह जाति बंजारा नि0 जाखमुण्ड को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया। तब से प्रार्थीगण काबिजकाश्त है। उक्त भूमि ख. सं. 650 जिसके परिशोधन के पश्चात के ख0सं0 1090/650 तथा 1091/650 बने, वर्तमान में अप्रार्थी सं. 7 लगायत 34 के खाते में अवैधानिक रूप से दर्ज है इससे उक्त भूमि में निहित प्रार्थीगण के कानूनी अधिकारो पर कुठाराघात हो रहा है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड में स्वयं का नाम खाते में दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर भूमि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

को किसी प्रकार हस्तान्तरण, रहन, बय,आरक्षत करने एवं पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को इस आशय की तफसीलवार अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वाद वर्णित आराजी को रहन,बय, हस्तान्तरण नही करे कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही करे।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को संक्षिप्त में दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद पत्र में ख0सं0 650 पर अनुतोष चाहा गया है किन्तु उक्त खाते के अन्य खसरा नम्बरान को भी सम्मिलित किया गया है अप्रार्थी सं. 1 ख0सं0 624 जिसका खाता सं0 163 बनाम अकेली का सम्पूर्ण खाता है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया है, इस कारण उक्त वाद में अन्य भूमि ख0सं0 624 के सम्बन्ध में उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि नकल जमाबन्दी भू-प्रबन्ध विभाग संवत 2028-47 अनुसार भूमि ख0सं0 624,625,631, 634 व 650 शामलाती खाते की भूमि थी जिसमें से खातेदार चन्दा व रसाल द्वारा ख0सं0 650 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 4.4.1977 को सुखराम आ0 सोहनसिंह जाति बंजारा नि0 जाखमुण्ड को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया। चुंकी उक्त समस्त ख0सं0 624,625,631,634 व 650 शामलाती खाते की भूमि थी जिस पर सभी सहखातेदारान् का हिस्सा निहित था किन्तु उक्त बेचान चन्दा व रसाल द्वारा ही किये जाने से अन्य सहखातेदारान् का हिस्सा भी प्रभावित है। ऐसी स्थिति मे यदि वाद वर्णित आराजी का रहन, बय अथवा हस्तान्तकरण होता है तो लिटिगेशन बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। प्रार्थीगण के पिता के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होने से प्रार्थीगण वाद वर्णित आराजी के सदभावी क्रेता होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

सुविधा के सन्तुलन के बिन्दु पर विचार किया जाता है तो भी वाद वर्णित आराजी के सदभावी क्रेता होने से यदि उक्त आराजी पर प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो को प्रभावित किया जाता है तो प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में असुविधा उत्पन्न होगी ना कि अप्रार्थीगण को। अतः सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु पर विचार करने पर यह बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विचार करने पर चुंकि वाद वर्णित ख0सं0 650 नवीन परिशोधित नम्बर 1090/650 व 1091/650 प्रार्थीगण के पिता द्वारा क्रय किया गया है एवं तत्समय शामलाती खाते में से दो खातेदारान् चन्दा व रसाल से क्रय की गई है किन्तु वाद वर्णित आराजी शामलाती होने से समस्त खातेदारान् का हिस्सा निहित होने से यदि किसी भी सहखातेदार द्वारा भूमि का रहन बय अथवा हस्तान्तरण किया जाता है तो हिस्सा खातेदारान् बाबत लिटिगेशन बढ़ने की आशंका को नकारा नही जा सकता। जिसका विपरित प्रभाव सदभावी क्रेता पर पडेगा एवं पक्षकारान् के मध्य लिटिगेशन बढ़ेगा। अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो , संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने , बहस उभय पक्ष पर मनन करने एवं प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन करने पर हम इस निष्कर्ष

प्र.सं. ...../ दावा / प्र.पत्र / .....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

पर पहुंचे है कि पक्षकारो के मध्य लिटिगेशन को रोकने एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी 624,625,631,634 व 650 वाके ग्राम जाखमुण्ड संवत 2028-47 के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे बाद वर्णित आराजी का रहन बेचान अथवा हस्तान्तरण नही करे। कब्जा काश्त में दखलंदाजी नही करे। उक्त कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिविधी से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

MJ